

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA

# दिल्ली राजपत्र

## Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-26022026-270506  
SG-DL-E-26022026-270506असाधारण  
EXTRAORDINARY  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 62]	दिल्ली, बुधवार, फरवरी 25, 2026/फाल्गुन 6, 1947	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 477
No. 62]	DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 25, 2026/PHALGUNA 6, 1947	[N. C. T. D. No. 477

भाग IV  
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIगृह (डीओपी) विभाग  
अधिसूचना

दिल्ली, 25 फरवरी, 2026

फा. सं. 11 / 06 / गृह-डीओपी / 2026 / 100-112.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 20 मार्च, 1974 की अधिसूचना संख्या 11011/2/74-यूटीएल (प) के साथ पठित, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 18 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा दिनांक 24.06.2020 की पूर्ववर्ती अधिसूचना संख्या फा0 8/95/2020/गृह-II/2112 द्वारा नियुक्त 11 विशेष लोक अभियोजकों के अनुक्रम में, सक्षम प्राधिकारी एतद् द्वारा निम्नलिखित 01 विधि अधिकारी/वरिष्ठ अधिवक्ता/अधिवक्ता को विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करते हैं :-

1. श्री अमित प्रसाद

वह जमानत, परीक्षण, अपील और अन्य सभी विविध मामलों, आवेदनों तथा रिट याचिकाओं सहित सभी न्यायालय कार्यवाही का संचालन करेंगे, जो आरोपी पक्षों या गैर सरकारी संगठनों द्वारा विभिन्न न्यायालयों में उन सभी एफआईआर के संबंध में दायर की गई हैं जो सीएए विरोधी प्रदर्शनों और दिल्ली में इन प्रदर्शनों से उत्पन्न कानून एवं व्यवस्था की स्थिति से संबंधित मामलों में दर्ज

की गई हैं, जिनमें दिल्ली के उत्तर-पूर्वी जिले के दंगे के मामले भी शामिल हैं। शुल्क की शर्तें और नियम समय रहते तय कर लिए जाएंगे।

यह माननीय उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल  
के आदेश से तथा उनके नाम पर,  
एल.के. गौतम, उप-सचिव

**HOME (DOP) DEPARTMENT**  
**NOTIFICATION**

Delhi, the 25th February, 2026

**F. No. 11/06/H-DOP/2026/100-112.**— In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of section 18 of the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, 2023, read with the Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. 11011/2/74-UTL (i) dated the 20th March, 1974, and in continuation to the 11 Special Public Prosecutors appointed vide earlier Notification No. F.8/95/2020/HP-II/2112 dated 24.06.2020, the Competent Authority, is pleased to appoint the following 01 Law Officer/ Senior advocate/advocate, as Special Public Prosecutor:—

1. Sh. Amit Prasad.

He shall conduct all court proceedings including Bail, Trial, Appeals, and all other Miscellaneous matters, applications and Writ Petition filed by the accused parties or NGOs in various courts in connection with all the FIRs which have been registered in cases related to Anti-CAA protests and Law & Order situation arising out of these protests in Delhi, which include riots cases of North East District, Delhi. The fee terms & conditions will be settled in due course.

This issues with the approval of Hon'ble Lieutenant Governor, GNCT of Delhi.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of  
the National Capital Territory of Delhi,

L. K. GAUTAM, Dy. Secy.